फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार **बनाम** **चन्दगी वगै0**

किस्म मुकदमा धारा **177 आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 **143/2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादी सुमेरसिंह की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रामेश्वरदयाल एड. ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादी प्रार्थी के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। प्रतिवादी/प्रार्थी की गैरहाजरी जानबुझ कर नहीं थी। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि वादवर्णित भूमि आबादी के बीच होने से प्रतिवादी अपनी खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से को आवासीय उपयोग में ले रहा है। प्रतिवादी की राज्य सरकार को हानि पंहुचाने की कोई मंशा नहीं है। इसलिए विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही की जाने बाबत न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जाकर विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाये जाने का अवसर प्रदान करें। बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	